अत्यन्त महत्वपूर्ण !

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेलः ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com

web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 939 /समीक्षा बैठक/19–20, दिनांक, देहरादून, दिसम्बर 10 , 2019

सेवा में,

1. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, नैनीताल।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड।

विषय :– क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किए जाने के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) एवं अध्यक्ष– कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में वीडियो–कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आहूत समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

कैम्पा के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण गतिविधि है, जिसे समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रायः देखा जा रहा है कि प्रभागों द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के कार्यों में रूचि नहीं ली जा रही है। कैम्पा में वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत स्वीकृत 3500 है0 लक्ष्यों के सापेक्ष प्रभागों के स्तर से मात्र 2654 है0 के लक्ष्यों की सूची प्राप्त हुई थी। शेष लक्ष्यों को पूर्ण किए जाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्रांक–714/2019–20 दिनांक 05.11.2019 के माध्यम से आपको चारधाम/ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लिंक सम्बन्धी प्रकरण इस आशय से प्रेषित किए गये थे कि दिनांक 15.11.2019 तक इनसे सम्बन्धित वन प्रभागों के प्रस्ताव कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध करवाए जायें, किन्तु किसी भी स्तर से आतिथि तक उक्त प्रस्ताव उपलब्ध नहीं करवाए गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त विभिन्न जोनल स्तर से वर्ष 2020–21 की जो वार्षिक कार्ययोजना प्रेषित की गई है, उनमें भी प्रभागों द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत मात्र 1100 है0 अग्रिम मृदा कार्य के भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित किए गये हैं। **आप अवगत हैं कि क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों को प्रत्येक दशा में 2 वर्षों के भीतर पूर्ण किया जाना है व इनकी मॉनीटरिंग समानान्तर रूप से मा0 उच्चतम न्यायालय के स्तर से भी की जा रही है।**

अतः उपरोक्त के क्रम में वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 में आपके नियंत्रणाधीन वन प्रभागों से सम्बन्धित क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों का स्थलवार/परियोजनावार औचित्यपूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में वन प्रभागों की क्षतिपूरक वनीकरण बैकलॉग की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

उत्तरकाशी	506 है0	नरेन्द्रनगर व0प्र0	844 है0	नैनीताल व0प्र0	292 है0	बागेश्वर	401 है0
रामनगर व0प्र0	8 है0	हल्द्वानी व0प्र0	800 है0	तराई पश्चिमी	126 है0	चम्पावत	498 है0
तराई केन्द्रीय	315 है0	तराई पूर्वी	943 है0	कालसी भू0सं0	83 है0	अल्मोड़ा	673 है0
लैन्सडौन	266 है0	देहरादून	534 है0	अपर यमुना	227 है0	नन्दादेवी	359 है0
टौंस व0प्र0	105 है0	मसूरी व0प्र0	135 है0	चकराता	526 है0	केदानाथ	866 है0
गढ़वाल	425 है0	रुद्रप्रयाग	513 है0	बद्रीनाथ	485 है0	टिहरी	378 है0

उपरोक्त प्रभागवार अवशेष लक्ष्यों की प्रकरणवार सूची ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा दिनांक 17.12.2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे अपने कार्यालय कक्ष में समस्त सम्बन्धित जोनल अधिकारियों सहित अधीनस्थ वनाधिकारियों की बैठक/वीडियो–कान्फ्रेन्सिंग आहूत की गई है। अतः कृपया **प्रमुख वन संरक्षक** (HoFF) **एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा** की अध्यक्षता में आहूत उक्त वीडियो–कान्फ्रेन्सिंग में पूर्ण तैयारी के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें। साथ ही अपने नियंत्रणाधीन वन प्रभागों की उक्तानुसार प्रकरणवार/स्थलवार सूचना दिनांक 15 दिसम्बर, 2019 तक इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक–939 (1)/समीक्षा हेतु दिनांकित।

प्रतिलिपि :– **प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड** एवं **अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा** को बैठक की अध्यक्षता हेतु सादर प्रेषित।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक–939 (2)/समीक्षा हेतु दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. **समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।**
2. **समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, उत्तराखण्ड।**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक–939 (2)/समीक्षा हेतु दिनांकित।

प्रतिलिपि :– **मुख्य वन संरक्षक–निगरानी, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कि कृपया दिनांक 17.12.2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से उक्त वीडियो–कान्फ्रेन्सिंग हेतु **प्रमुख वन संरक्षक** (HoFF) के कार्यालय कक्ष में आवश्यक व्यवस्था करवाने का कष्ट करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।